

नौवीं अनुसूची

(धारा 74 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(1) अध्याय 24 में,—

(i) 2401 शीर्ष की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “50%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 5

(ii) टैरिफ मद 2402 10 10 और 2402 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 1227 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iii) टैरिफ मद 2402 20 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “509 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(iv) टैरिफ मद 2402 20 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1218 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(v) टैरिफ मद 2402 20 30 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “—60 मिलीमीटर से अनधिक 10 की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)” और “509 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(vi) टैरिफ मद 2402 20 40 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “—60 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 70 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)” और “809 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ; 15

(vii) टैरिफ मद 2402 20 50 के सामने आने वाली स्तंभ (2) और स्तंभ (4) में की प्रविष्टियों के स्थान पर, क्रमशः “—70 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 75 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)” और “1218 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टियां रखी जाएंगी ;

(viii) टैरिफ मद 2402 20 50 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

टैरिफ मद	माल का वर्णन	इकाई	शुल्क की दर	
(1)	(2)	(3)	(4)	
“2402 20 60	—75 मिलीमीटर से अधिक किन्तु 85 मिलीमीटर से अनधिक की लम्बाई की फिल्टर वाली सिगरेट (जिसमें फिल्टर की लम्बाई सम्मिलित है, फिल्टर की लम्बाई 11 मिलीमीटर या उसकी वास्तविक लम्बाई, इसमें से जो भी अधिक हो)	संख्या हजार में	1624 रुपए प्रति हजार”;	20
				25

(ix) टैरिफ मद 2402 20 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1948 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(x) टैरिफ मद 2402 90 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “1258 रुपए प्रति हजार” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xi) टैरिफ मद 2402 90 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 1473 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xii) टैरिफ मद 2402 90 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10% या 1473 रुपए प्रति हजार, इनमें से जो भी अधिक हो,” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 30

(xiii) टैरिफ मद 2403 10 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xiv) टैरिफ मद 2403 10 20 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “360%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xv) टैरिफ मद 2403 10 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “40%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xvi) टैरिफ मद 2403 91 00 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60%” प्रविष्टि रखी जाएगी ; 35

(xvii) टैरिफ मद 2403 99 10, 2403 99 20, 2403 99 30, 2403 99 40, 2403 99 50 और 2403 99 60 में, उनमें से प्रत्येक के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xviii) टैरिफ मद 2403 99 70 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60 रुपए प्रति किलोग्राम” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(xix) टैरिफ मद 2403 99 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “60%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(2) अध्याय 27 में,—

(क) उपशीर्ष 2712 20 और टैरिफ मद, 2712 20 10 और 2712 20 90 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :—

	टैरिफ मद	माल का विवरण	इकाई	शुल्क की दर
5	(1)	(2)	(3)	(4)
	"2712 20 00	-पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% से कम हो	कि.ग्रा.	16% ;
(ख) टैरिफ मद 2712 90 30 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टैरिफ मद और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—				
10	(1)	(2)	(3)	(4)
	"2712 90 40	—पैराफिन मोम, जिसमें तेल के भार के रूप में तेल का अंश 0.75% या उससे अधिक हो	कि.ग्रा.	16% ;

(3) अध्याय 48 के शीर्ष 4818 में,—

- (i) टैरिफ मद 4818 40 10 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 15 (ii) टैरिफ मद 4818 40 90 में स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "16%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (4) अध्याय 50 के शीर्ष 5004, 5005, 5006 और 5007 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (5) अध्याय 51 के शीर्ष 5105, 5106, 5107, 5108, 5109, 5110, 5111, 5112 और 5113 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 20 (6) अध्याय 52 के शीर्ष 5204, 5205, 5206, 5207, 5208, 5209, 5210, 5211 और 5212 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (7) अध्याय 53 के शीर्ष 5302, 5305, 5306, 5308 (5308 10 10 और 5308 10 90 के सिवाय), 5309, 5310 और 5311 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 25 (8) अध्याय 54 के शीर्ष 5401, 5404 (5404 11 00, 5404 12 00, 5404 19 10, 5404 19 20 और 5404 19 90 के सिवाय), 5405, 5407 (5407 10 15, 5407 10 25, 5407 10 35, 5407 10 45, 5407 10 95, 5407 20 10, 5407 20 20, 5407 20 30, 5407 20 40, 5407 20 90, 5407 30 10, 5407 30 20, 5407 30 30, 5407 30 40, 5407 30 90, 5407 41 19, 5407 41 29, 5407 42 90, 5407 43 00, 5407 44 90, 5407 71 10, 5407 71 20, 5407 72 00, 5407 73 00, 5407 74 00, 5407 81 19, 5407 81 29, 5407 82 90, 5407 83 00, 5407 84 90, 5407 91 10, 5407 91 20, 5407 92 00, 5407 93 00 और 5407 94 00 के सिवाय) और 5408 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 30 (9) अध्याय 55 के शीर्ष 5508, 5509, 5510, 5511, 5512, 5513, 5514, 5515 और 5516 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (10) अध्याय 56 के शीर्ष 5601 (5601 10 00 और 5601 22 00 के सिवाय), 5602,, 5603, 5604, 5605, 5606, 5607 (5607 50 10 के सिवाय), 5608 (5608 11 10 और 5608 11 90 के सिवाय) और 5609 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 35 (11) अध्याय 57 के शीर्ष 5701, 5702, 5703, 5704 और 5705 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (12) अध्याय 58 के शीर्ष 5801 (5801 35 00 के सिवाय) 5802, 5803, 5804 (5804 30 00 के सिवाय), 5806, 5808, 5809, 5810 और 5811 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- 40 (13) अध्याय 59 के शीर्ष 5901, 5902 (5902 10 10 और 5902 10 90 के सिवाय), 5903, 5904, 5905, 5906, 5907, 5908, 5909, 5910 और 5911 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (14) अध्याय 60 के शीर्ष 6001, 6002, 6003, 6004, 6005 और 6006 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;
- (15) अध्याय 61 के शीर्ष 6101, 6102, 6103, 6104, 6105, 6106, 6107, 6108, 6109, 6110, 6111, 6112, 6113, 6114, 6115, 6116 और 6117 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, "10%" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(16) अध्याय 62 के शीर्ष 6201, 6202, 6203, 6204, 6205, 6206, 6207, 6208, 6209, 6210, 6211, 6212, 6213, 6214, 6215, 6216 और 6217 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(17) अध्याय 63 के शीर्ष 6301, 6302, 6303, 6304, 6305, 6306, 6307 और 6308 की सभी टैरिफ मदों के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(18) अध्याय 68 में, टिप्पण 2 के पश्चात्, निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

5

‘3. शीर्ष 6802 और 6810 के उत्पादों के संबंध में, प्रस्तर समूहों के स्लैबों या टाइलों में संपरिवर्तन के लिए कर्तन या घर्षण या शाणन या पालिशकरण की प्रक्रिया या कोई अन्य प्रक्रिया “विनिर्माण” की कोटि में आएगी ।’।

(19) अध्याय 76 में,—

(i) “टिप्पण” को उसके “टिप्पण 1” के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित टिप्पण 1 के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

10

‘2. शीर्ष 7608 के उत्पादों के संबंध में, तैयार करने या पुनः तैयार करने की प्रक्रिया “विनिर्माण” की कोटि में आएगी ।’।

(ii) उपशीर्ष टिप्पण 2 में, “टिप्पण” शब्द के स्थान पर, “टिप्पण 1” शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(20) अध्याय 90 के शीर्ष 9001 30 00 की टैरिफ मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(21) अध्याय 95 के शीर्ष 9504 40 00 की टैरिफ मद के सामने आने वाली स्तंभ (4) में की प्रविष्टि के स्थान पर, “10%” प्रविष्टि रखी जाएगी ।

15